

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/93/2023

रजु दिनांक: 07.07.2023

रजि0 न0 2023/586

अपीलार्थी:-

श्री प्रीत सिंह गलगट पुत्र श्री प्यारेलाल,
निवासी सी-19 बी यादव नगर तिजारा
फाटक अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला
अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 21.08.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 24.07.2023 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे, एवं अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 02.8.23 के माध्यम से संलग्न मूल पोस्टल आर्डर संख्या 69सी 477808 एवं 69सी 477809 पेश किये है। चूंकि प्रथम अपील निःशुल्क होती है अतः उक्त मूल पोस्टल आर्डर अपीलार्थी को भिजवावे एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(पुखराज सैन)
जिला कलेक्टर अलवर
(राज0)